

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2006

जयपुर, दिनांक 01-04-13


परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

विषय:- विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित  
डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।


सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी  
भी पद/संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व अन्तरिम/अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर  
प्रसारित करना आवश्यक है।

चूंकि अब नया वित्तीय वर्ष 2013-14 एक अप्रैल से प्रारम्भ हो गया है। अतः  
समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि एक  
अप्रैल की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां तैयार/जारी कर विभागीय  
पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर अविलम्ब पदोन्नति की कार्यवाही करें।


  
(सुदर्शन सेठी) 1.4.2013  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

  
(दिनेश कुमार/यादव)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

  
संयुक्त शासन सचिव

24/2013